प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 2286/2000

आवेदकगण - श्रीमती जिनेश्वरी देवी व अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण श्रीमती दुर्गेश्वरी व एक अन्य

आदेश

आदेश हेतु दिनांक 22.03.2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 2286/2000

<u>आवेदकगण</u> - 1. श्रीमती जिनेश्वरी देवी, पति स्वर्गीय सोमनाथ पाणिग्रही, आयु लगभग 56 वर्ष।

2. रमेश पाणिग्रही, पिता स्वर्गीय सोमनाथ पाणिग्रही, आयु 33 वर्ष।

3. दिनेश पाणिग्रही, पिता स्वर्गीय सोमनाथ पाणिग्रही, आयु 31 वर्ष।

4. कमलेश पाणिग्रही, पिता स्वर्गीय सोमनाथ पाणिग्रही, आयु 27 वर्ष।

5. कृष्णा पाणिग्रही, पिता स्वर्गीय सोमनाथ पाणिग्रही, आयु 23 वर्ष।

सभी निवासी — भैरम देव वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (म.प्र.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>

1. श्रीमती दुर्गेश्वरी उर्फ पिला बाई पाणिग्रही, पति श्री रूपनाथ पाणिग्रही, आयु 45 वर्ष, निवासी भैरमगंज, जगदलपुर।

2. श्रीमती प्रभावती, पति शुभराम, आयु लगभग 78 वर्ष, निवासी भैरमगंज, जिला बस्तर, जगदलपुर।

<u>उपस्थित</u>:-

आवेदकों की ओर से श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।

उत्तरवादियों की ओर से श्री आर.एन. झा, अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 22.03.2007)

यह सिविल पुनरीक्षण, विद्वान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी-2, जगदलपुर, जिला बस्तर द्वारा निष्पादन प्रकरण क्रमांक 157-क/2000 में दिनांक 21.09.2000 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आवेदकों द्वारा परिसीमा के आधार पर निष्पादन कार्यवाही की ग्राह्यता के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त कर दिया गया तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय सिविल अपील क्रमांक 142/83 में दिनांक 02.09.1987 को पारित डिक्री के निष्पादन में वादग्रस्त मकान के कब्जे हेतु वारंट तथा डिक्री राशि रु. 178.45/- की वसूली के लिए आवेदकों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया गया।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह निर्विवाद है कि डिक्री दिनांक 02.09.1987 को पारित की गई थी तथा डिक्रीधारक द्वारा निष्पादन कार्यवाही केवल दिनांक 28.04.2000 को प्रारंभ की गई, जो कि परिसीमा अधिनियम (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) के अनुच्छेद 136 में निर्धारित अवधि से परे है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों की आपत्ति इस टिप्पणी के साथ निरस्त की गई कि निष्पादन कार्यवाही एक आज्ञापक निर्देश संबंधी डिक्री से संबंधित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी (श्रीमती दुर्गेश्वरी उर्फ पिला बाई पाणिग्रही, जो वर्तमान में उत्तरवादी क्रमांक 1 हैं) को वादग्रस्त मकान की विधिसम्मत स्वामिनी एवं स्वत्वधारी घोषित किया गया है तथा उन्हें प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादियों से उक्त मकान का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तदनुसार डिक्री पारित की गई थी। अतः उक्त डिक्री द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आज्ञापक निर्देश जारी किया था और ऐसी डिक्री के निष्पादन हेतु कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वस्तुतः डिक्री वादग्रस्त मकान के कब्जा प्राप्ति के संबंध में थी, इसलिए परिसीमा के प्रयोजनार्थ अधिनियम का अनुच्छेद 136 लागू होता है। अतः आक्षेपित आदेश अधिनियम के अनुच्छेद 136 के प्रावधानों के विपरीत है और उसे अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. इसके विपरीत, अनावेदकगण/वादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि निष्पादन कार्यवाही परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत निर्धारित

अवधि के पश्चात प्रारंभ की गई थी, तथापि डिक्रीधारक निष्पादन कार्यवाही प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि डिक्रीधारक के भाई ने वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु निर्णय-ऋणी तथा डिक्रीधारक के विरुद्ध एक सिविल वाद प्रस्तुत किया था, जो अंततः वर्ष 1995 में निरस्त हुआ। इन परिस्थितियों में परिसीमा की अवधि वर्ष 1995 से प्रारंभ होती है, जब उक्त पश्चातवर्ती वाद निरस्त हुआ, और इस प्रकार निष्पादन कार्यवाही परिसीमा के भीतर थी।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा आक्षेपित आदेश के साथ-साथ द्वितीय अपील क्रमांक 142/83 में दिनांक 02 सितम्बर 1987 को पारित डिक्री का भी अवलोकन किया।

5. उपर्युक्त डिक्री द्वारा विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर दिया गया तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 / वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उसे वादग्रस्त मकान की विधिसम्मत स्वामिनी एवं अधिकारधारी घोषित किया गया तथा उसे आवेदकों / निर्णय-ऋणियों से उक्त मकान का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना गया। तदनुसार डिक्री पारित की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. उपर्युक्त डिक्री के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 / वादी के पक्ष में एक घोषणात्मक डिक्री पारित की गई थी, जिसके द्वारा उसे वादग्रस्त मकान की विधिसम्मत स्वामिनी एवं स्वत्वधारी घोषित किया गया तथा उसे आवेदकों / निर्णय-ऋणियों से उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। निष्पादन न्यायालय ने डिक्री की प्रवर्तनीयता के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति को इस आधार पर निरस्त किया कि उक्त डिक्री वस्तुतः घोषणा, स्वामित्व, अधिकार एवं आज्ञापक निर्देश संबंधी है, जिसके लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। अधिनियम के अनुच्छेद 135 एवं 136 निम्नानुसार उद्धृत हैं :

वाद का विवरण	परिसीमा की अवधि	वह समय, जिससे परिसीमा अवधि प्रारंभ होगी

135. आज्ञापक व्यादेश अनुदत्त करने वाली डिक्री के प्रवर्तन के लिए।	तीन वर्ष	डिक्री की तारीख, या जहां कि पालन के लिए तारीख नियत है वहां वह तारीख
136. सिविल न्यायालय की (आज्ञापक व्यादेश अनुदत्त करने वाली डिक्री से भिन्न) किसी डिक्री या किसी आदेश के निष्पादन के लिए	बारह वर्ष	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX परन्तु शाश्वत व्यादेश, अनुदत्त करने वाली डिक्री के प्रवर्तन या निष्पादन के लिए आवेदन किसी परिसीमा काल के अध्यधीन नहीं होगा ।

7. विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि डिक्रीधारक के पक्ष में घोषणा एवं आज्ञापक निर्देश की डिक्री पारित की गई है, जो डिक्री के प्रत्यक्ष अवलोकन से ही त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि डिक्री स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से यह उपबंधित करती है कि डिक्रीधारक आवेदक/निर्णय-ऋणी से वादग्रस्त मकान का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है, और इस प्रकार वह कब्जा प्राप्ति संबंधी डिक्री है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम का अनुच्छेद 135 अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करने वाली डिक्री के प्रवर्तन हेतु तीन वर्ष की परिसीमा निर्धारित करता है, जबकि अधिनियम का अनुच्छेद 136 किसी भी डिक्री (अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करने वाली डिक्री को छोड़कर) अथवा किसी सिविल न्यायालय के आदेश के निष्पादन हेतु बारह वर्ष की परिसीमा निर्धारित करता है।

अतः विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उक्त डिक्री के निष्पादन हेतु कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है तथा डिक्री प्रवर्तनीय है, तथ्य एवं विधि दोनों के विपरीत है और उसे बनाए नहीं रखा जा सकता।

8. जहाँ तक उत्तरवादीगण/वादियों के विद्वान अधिवक्ता की इस तर्क का संबंध है कि उत्तरवादीगण डिक्रीधारक के भाई तथा निर्णित-ऋणी एवं डिक्रीधारक के मध्य उसी

वादग्रस्त मकान के संबंध में लंबित व्यवहार वाद, जो वर्ष 1995 में निरस्त हुआ, के कारण 12 वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादन कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सके, इस संबंध में यह कहा जाना पर्याप्त है कि किसी अन्य सिविल वाद की लंबितता परिसीमा अवधि को स्थगित नहीं करती, क्योंकि परिसीमा की अवधि उस समय से प्रारंभ हो जाती है जब डिक्री प्रवर्तनीय हो जाती है। वर्तमान मामले में इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि विवादित डिक्री दिनांक 02 सितम्बर 1987, अर्थात् उसके उच्चारण की तिथि से ही प्रवर्तनीय हो गई थी तथा निष्पादन कार्यवाही केवल दिनांक 28 अप्रैल 2000 को प्रारंभ की गई, जो स्वीकारतः 12 वर्ष की अवधि से परे थी। अतः अधिनियम के अनुच्छेद 136 के अनुसार उक्त निष्पादन कार्यवाही परिसीमा से बाधित थी।

9. परिणामतः, यह पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है तथा डिक्रीधारक द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 142/83 में दिनांक 02 सितम्बर 1987 को पारित डिक्री के निष्पादन हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही को अपरिवर्तनीय रूप से परिसीमा से बाधित घोषित किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(धीरेन्द्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**